

हरियाणा सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग  
शुद्धि पत्र  
दिनांक 26 जुलाई, 2016

संख्या 5/4/2008-1ए0आर0.— हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 18 मार्च, 2016 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 5/4/2008-1ए0आर0, दिनांक 18 मार्च, 2016 में, मूल हिन्दी पाठ में, —

- (i) क्रम संख्या 2 में, प्रथम पैरा में, तृतीय पंक्ति में, "आवेदक के पता सहित पांच सौ शब्दों" के स्थान पर, "आवेदक के पते को छोड़कर पांच सौ शब्दों" पढ़ा जाये;
- (ii) उप पैरा 3 में, खण्ड (ग) में, द्वितीय पंक्ति में, "दस्तावेज के लिए नियम कीमत" के स्थान पर, "दस्तावेज के लिए नियत कीमत" पढ़ा जाये;
- (iii) अन्तिम उप पैरा (4) में, द्वितीय पंक्ति में, "एक घण्टे की अवधि" के स्थान पर, "एक घण्टे से अधिक की अवधि" पढ़ा जाये।

डी० एस० देसी,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।